न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/31 **दायरा दिनांक : 23.03.2022**

उनवान

1. रामपाल पुत्र चतरा, जाति मीणा, निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2. घनश्याम पुत्र चतरा, जाति मीणा, निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
3. मीनाबाई पुत्री हीरालाल पत्नी रामभरत पुत्र हीरालाल, जाति मीणा, निवासी झाडोता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
4. फोरन्तीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी हेमन्त पुत्र रामगोप, जाति मीणा, निवासी धनवाडियो का पीपल्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां
5. मनभर बाई बेवा हीरालाल, जाति मीणा, निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. माफी मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान माधोपुरा नाबालिग जर्ये पुजारी रमेश चन्द पुत्र बालमुकन्द, जाति बैरागी, निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
2. रामचरण पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
3. जगदीश पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
4. हीरालाल पुत्र धन्नालाल, जाति मीणा
5. रामगोप पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीणा
6. जीतमल पुत्र देवकरण, जाति मीणा
7. मुकुट बिहारी पुत्र रामेश्वर, जाति मीणा
8. हंसराज पुत्र छगनलाल, जाति मीणा
9. जगदीश पुत्र मदनलाल, जाति मीणा
10. कालूलाल पुत्र गोबरीलाल, जाति मीणा (फौत)
11. पप्पू पुत्र जगन्नाथ, जाति खाती
    निवासीगण माधोपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
12. मुरारी पुत्र धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी माधोपुर
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृज किशोर शर्मा, श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 3, 7, 8, 9, 11 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 27.03.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 0093/2016 (104/2016) निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम माधोपुरा, पटवार पीपल्दाकलां, तहसील किशनगंज के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी सैटलमेंट से पूर्व जमाबंदी संवत 2012 से 2018 तक माफी आराजी खाता संख्या नई 61 खसरा नं. 43 रकबा 5.10 बीघा, खसरा नं. 115 रकबा 0.11 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6.01 बीघा दर्ज थी, जिसके सैटलमेंट के पश्चात खाता नं. नई 28 पुरानी 53 खसरा नं. 54 रकबा 5.00 बीघा, खसरा नं. 10 रकबा 0.17 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.17 बीघा दर्ज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 से वाद वादीगण स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटगण ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया और न ही न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया पूर्व धारणा बनाकर मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09–09–2021 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम माधोपुरा की आराजी खसरा नं. 54 रकबा 5 बीघा खसरा नं. 10 रकबा 17 बिस्वा पूर्व मे अपीलांटगण के पिता, दादा व ससुर चतरा पुत्र नारायण, कोम मीणा, निवासी माधोपुरा के खातेदारी मे दर्ज थी जो सम्मत 2016–32 मे खसरा नं. 10 रकबा 17 बिस्वा किस्म खेडा व खसरा नं. 54 रकबा 5 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जिसे 60 वर्ष से अधिक का समय खातेदारी मे दर्ज हो चुका है उसके बावजूद रमेशचन्द्र पुत्र बालमुकन्द, जाति बैरागी को पुजारी बताकर रंजिशवश वादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा गलत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया गया जबकि पुजारी देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड होना चाहिये उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुजारी का कोई रिकार्ड नहीं होने के बावजूद तथ्यों को छुपाकर माफी की जमीन को मूर्ति मंदिर की बताकर वादपत्र प्रस्तुत कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कानूनी बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया गया, न अपीलांटगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस दिनांक 26–08–2021 का निर्णय में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया, न प्रस्तुत विधि दृष्टान्तों का कोई हवाला दिया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो० के राजनैतिक प्रभाव में आकर मनमाना

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

व विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 09–09–2021 पारित किया गया है जो 10 जनवरी 2022 के बाद पुरानी तारीख 09–09–2021 में हस्ताक्षर कर निर्णीत किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 9 तनकीयात कायम की गई थी जिसमे से तनकी नं. 1, 2, 3, व 8 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकियात का विस्तृत रूप से कोई विवेचन नहीं किया गया केवल साक्ष्य सबूत दस्तावेज पेश किये इस आधार पर तनकी नं. 1, 2, 3, 8 को वादीगण के पक्ष मे गलत रूप से निस्तारित किया गया है तथा तनकी नं. 4, 5, 6, 7 को गलत रूप से अपीलांटगण/प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्धारित किया गया है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा अपने निर्णय मे यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि उभय पक्षकारान के अधिवक्तागणों की बहस कब सुनी गई व बहस में अपीलांटगण व रेस्पो० के अधिवक्ताओं द्वारा क्या निवेदन किया गया व कौन कौन से विधि दृष्टांत पेश किये गये, किसी भी प्रकार उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। अद्योपांत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की गई कि ग्राम माधोपुरा की आराजी खाता संख्या नई 61 खसरा नं. 43 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा खसरा नं. 115 रकबा 11 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा जिसके सेटलमेन्ट के पश्चात नई जमाबंदी खाता संख्या 28 पुरानी 53 के खसरा नं. 54 रकबा 5 बीघा खसरा नं. 10 रकबा 17 बिस्वा, कुल 5 बीघा 17 बिस्वा से प्रतिवादीगण का नाम हटाकर जाकर मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान माधोपुरा को खातेदार घोषित किया जाकर चालू राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने के आदेश प्रदान किये गये है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी कम 6 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज का कोई जवाब प्राप्त नहीं किया गया, न देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाया गया, न देवस्थान विभाग को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों का कोई पालन नहीं किया गया व वादीगण/रेस्पो० के राजनैतिक प्रभाव मे आकर उक्त निर्णय व डिक्री पुरानी तारीख मे बिना अपीलांटगण को सूचना दिये व बिना उनके अधिवक्ता को जानकारी दिये निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2021 पर 10 जनवरी के बाद बिना किसी युक्तियुक्त कारण के हस्ताक्षर किये गये है, जबकि बहस सुनने से एक माह के अन्दर निर्णय पारित नहीं किये जाने पर विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पुनः बहस सुना जाना नितान्त आवश्यक है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इतने लंबे समय बाद पुरानी तारीख में निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है व न्यायिक प्रक्रिया का घोर उल्लंघन किया गया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2021 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2021 प्रकरण सं० 0093/2016 (104/2016) बउनवान माफी मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज वगैरा निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर अपीलांटगण के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजियात में किसी प्रकार की मदालखत उत्पन्न न किये जाने हेतु रेस्पो० को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.01.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंटगण ने ग्राम माधोपुर की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 54 रकबा 5.00 बीघा, खसरा नं. 10 रकबा 0.17 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.17 बीघा किस्म खेडा हेतु दावा किया था। खसरा नं. 10 प्रदर्श पी 4 हमारे खाते की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं बताया कि क्या वादी दावा करने हेतु सक्षम थे। नामान्तरकरण सं. 329 प्रदर्श 2 संवत 2012–2015 से वादग्रस्त आराजी माफी खालसा होकर खातेदारी में दर्ज हुई। सैटलमेंट जमाबंदी संवत 2016 से 2035 में वादग्रस्त आराजी हमारे पिता चमरा के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है। ग्रामवासियान बनकर दावा किया, पुजारी रमेश चन्द के साथ जबकि रमेश चन्द ग्राम महलपुर का रहने वाला है तो फिर इस गांव में पुजारी कैसे है ? दावे में कहीं भी नहीं बताया ये कैसे प्रभावित है। अधीनस्थ न्यायालय ने देवस्थान विभाग को पक्षकार नहीं बनाया अतः दावा चलने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। वादी ने संवत 2008 से 2009 की जमाबंदी पेश की है इस जमाबंदी के खसरा नम्बर व हमारी आराजी के खसरा नम्बर मैच नहीं होते हैं। मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 9 तनकीयात कायम की। तनकी नं. 1 को वादी ने प्रमाणित नहीं किया। तनकी का विश्लेषण नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने क्रियात्मक आदेश नहीं किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे और अपील स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1991 पेज नं. 1 फुल बेंच, आर.बी.जे. 1994 पेज 50, व आर.आर.डी. 2000 पेज 109 (एच.सी.) की नजीरे उद्धरत की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर ठाकुर जी के नाम की है। मूर्ति की ओर माफी की जमीन पर खातेदारी अधिकार नहीं मिलते। किशनगंज में सैटलमेंट के समय मिलान क्षेत्रफल नहीं बना। वादग्रस्त आराजी इनकी है, अपीलांटगण को साबित करना है। अधीनस्थ न्यायालय ने मूर्ति के हितों की रक्षा करते हुए निर्णय पारित किया है जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1991 overrull हो चुकी है 2011 है। (बग्गा वाली)

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम माधोपुरा, पटवार पीपल्दाकलां, तहसील किशनगंज के माल में वादी मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान माधोपुरा नाबालिग के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी सैटलमेंट से पूर्व जमाबंदी संवत 2012 से 2018 तक माफी आराजी खाता संख्या नई 61 खसरा नं. 43 रकबा 5.10 बीघा, खसरा नं. 115 रकबा 0.11 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6.01 बीघा दर्ज थी, जिसके सैटलमेंट के पश्चात खाता सं. नई 28 पुरानी 53 खसरा नं. 54 रकबा 5.00 बीघा, खसरा नं. 10 रकबा 0.17 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.17 बीघा दर्ज कर दिये गये। किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट नई जमाबंदी सम्वत 2016 से 2035 तैयार करते वक्त माफी मंदिर के खातेदारी की आराजी में से मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा का नाम हटाकर प्रतिवादीगणों के पूर्वज मृतक चतरा पुत्र नारायण, जाति मीणा, निवासी माधोपुरा का नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया। सेटलमेंट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माफी मंदिर की खातेदारी परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था अस्तु वादीगण विवादित आराजी से प्रतिवादीगणों का नाम हटाकर मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा के खातेदारी में दर्ज करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी जो सेटलमेंट से पूर्व मूर्ति मंदिर श्री ठाकूरजी महाराज विराजमान माधोपुरा के खातेदारी में दर्ज थी, जो सेटलमेंट विभाग

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

द्वारा गलत रूप से प्रतिवादीगणों के पूर्वज चतरा पुत्र नारायण मीणा निवासी माधोपुरा के खातेदारी में दर्ज कर दी गयी है। जिसकी दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीगणों का नाम हटाया जाकर पुनः मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान माधोपुरा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी में दर्ज की जावे। प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह मूर्ति मंदिर श्री ठाकूर जी महाराज विराजमान माधोपुरा के कब्जे काश्त में जबरन किसी प्रकार से दखलन्दाजी न तो स्वयं करे, न अपने विधिक प्रतिनिधियों से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर जर्ये अधिवक्ता दिनांक 13.04.2017 को जवाब दावा पेश कर कथन किया कि ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का पीपल्दा की आराजी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या नया 63 पुराना 62 की आराज़ी खसरा नं. 10 रकबा 0.17 बिस्वा, खसरा नं. 54 रकबा 5 बीघा प्रतिवादीगण 1 ता 5 के खातेदारी एवं स्वामित्व की है। उक्त आराजी कभी भी मूर्ति मंदिर श्री ठाकूरजी महाराज विराजमान माधोपुरा के खातेदारी में दर्ज नही रही है। उक्त आराजी माफी की थी जो माफी रिज्यूम होने के कारण चतरा वल्द नारायण कोम मीणा के खातेदारी में दर्ज की गयी जिसे जायज अर्सा 50 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जिस पर वादीगण को आपत्ति करने को कोई वैधानिक अधिकारी प्राप्त नहीं है न ही वादी क्रम 1 रमेशचन्द्र पुत्र बालमुकन्द रजिस्टर्ड पुजारी है इस कारण वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वाद जवाब दावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का जवाब दावा एवं प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजियात में किसी भी प्रकार की मदाखलत वादीगण न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को अपने खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजियात को शांतिपूर्वक काश्त करने दे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय किशनगंज द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वाद वादीगण स्वीकार कर वाके ग्राम माधोपुरा की आराजी बाद सेटलमेंट के पश्चात खाता संख्या नई 28 पुरानी 53 खसरा नं. 54 रकबा 5 बीघा, खसरा नं. 10 रकबा 0.17 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5.17 बीघा से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर मूर्ति मंदिर श्री ठाकूर जी महाराज विराजमान माधोपुरा को खातेदार घोषित किया जाकर चालू राजस्व रिकार्ड में अंकन करने आदेश किशनगंज को दिये गये। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2008 से 2011 प्रदर्श पी 1 एवं संवत 2012 से 2015 प्रदर्श पी 2 के अनुसार खसरा नं. 43, 115 कुल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

किता 2 कुल रकबा 6.01 बीघा आराजी माफी मंदिर श्री ठाकुर जी विराजमान गांव के खाते दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग संवत 2016–2035 प्रदर्श पी 3 के अनुसार खसरा नं. 10 एवं 54 कुल किता 2 कुल रकबा 5.17 बीघा आराजी चतरा वल्द नारायण मीना के खाते दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 प्रदर्श पी 4 के अनुसार खसरा नं. 10 एवं 54 की रकबा 5.17 बीघा आराजी प्रतिवादी अपीलांट जो चतरा के वारिसान है के खाते दर्ज रिकार्ड है। वादी रेस्पोडेंटगण द्वारा दौराने बहस यह कथन किया है कि दौराने सैटलमेंट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तहसील किशनगंज का मिलान क्षेत्रफल तैयार नहीं किया गया। तहसीलदार किशनगंज द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि मंदिर की है एवं मंदिर की भूमि का किसी व्यक्ति के नाम रिकार्ड में इन्द्राज किया गया है वह गलत किया है। भूमि मंदिर के नाम किया जाना उचित होगा। प्रतिवादी अपीलांट द्वारा सैटलमेंट जमाबंदी संवत 2016 से 2035 से पूर्व की ऐसी कोई जमाबंदी या वैध दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि सैटलमेंट से पूर्व विवादित आराजी खसरा नं. 10, 54 प्रतिवादी अपीलांट के पूर्वज चतरा के नाम दर्ज रही हो तथा उसके सैटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर क्या थे। प्रतिवादी अपीलांट के अधिवक्ता का दौराने बहस यह कथन रहा है कि देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाये बिना वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। देवस्थान विभाग को उन्हीं मामलों में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिन मामलों में मन्दिर देवस्थान विभाग की सूची में दर्ज हो और मंदिर का प्रबन्ध देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता हो परन्तु प्रतिवादी अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादित मंदिर देवस्थान विभाग की सूची में शामिल है और मंदिर का प्रबन्ध देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिक होने से मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षा हेतु ग्रामवासियान की ओर से दावा पेश किया जा सकता है। विवादित आराजी संवत 2008 से 2011 की जमाबंदी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही माफी मंदिर श्री ठाकुर जी विराजमान गांव के खाते दर्ज रिकार्ड रही है। अतः सैटलमेंट विभाग को किसी व्यक्ति विशेष के खाते दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होने एवं मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना विधि सम्मत नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/03/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. रामपाल पुत्र चतरा, जाति मीणा, निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2. घनश्याम पुत्र चतरा, जाति मीणा, निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
3. मीनाबाई पुत्री हीरालाल पत्नी रामभरत पुत्र हीरालाल, जाति मीणा, निवासी झाडोता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
4. फोरन्तीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी हेमन्त पुत्र रामगोप, जाति मीणा, निवासी धनवाडियो का पीपल्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां
5. मनभर बाई बेवा हीरालाल, जाति मीणा, निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... **अपीलांट**

बनाम

1. माफी मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान माधोपुरा नाबालिग जर्ये पुजारी रमेश चन्द पुत्र बालमुकन्द, जाति बैरागी, निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
2. रामचरण पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
3. जगदीश पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
4. हीरालाल पुत्र धन्नालाल, जाति मीणा
5. रामगोप पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीणा
6. जीतमल पुत्र देवकरण, जाति मीणा
7. मुकुट बिहारी पुत्र रामेश्वर, जाति मीणा
8. हंसराज पुत्र छगनलाल, जाति मीणा
9. जगदीश पुत्र मदनलाल, जाति मीणा
10. कालूलाल पुत्र गोबरीलाल, जाति मीणा (फौत)
11. पप्पू पुत्र जगन्नाथ, जाति खाती
    निवासीगण माधोपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
12. मुरारी पुत्र धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी माधोपुर
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2022/31**
मु.द.नं0 **0093/2016 (104/2016)**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **09.09.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **11 माह 03** सन् **2026**

श्री **ओ पी मेहता** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **बृज किशोर शर्मा**, श्री **बाबूलाल जैन** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 3, 7, 8, 9, 11 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **27 माह 03 सन् 2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)